Bill No.21 of 2018

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (2) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) for the existing expression "1st April, 2010", the expression "1st April, 2018" shall be substituted; and

(ii) in clause (a), after the existing expression "medical treatment" and before the existing expression "equivalent to", the expression " of himself and his dependent children" shall be inserted .

3. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-C of the principal Act, the existing proviso (i) shall be deleted with effect from 1st April, 2018.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4-A, *inter alia* provides for reimbursement of expenditure on account of medical treatment of ex-members of the Rajasthan Legislative Assembly. This facility is proposed to be extended to the dependent children of such members.

Section 4-C provides for family pension to the spouse of ex-members. In determination of pension payable under this section, the salary or pension being received from other sources is taken into account and pension under this section is allowed only when the salary or pension being received from other sources is less than the amount of pension payable under this section and in this case also the pension under this section is allowed only to the extent by which the salary and pension being received from other sources is less than the pension payable under this section. Therefore, the rider of salary or pension being received from other sources is sought to be removed from this section.

Both the above facilities are proposed to be given with effect from 1st April, 2018.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2(26) विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2018 प्रेषक: राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to amend sections 4-A (2) and section 4-C (1) of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956. The amendments in these sections will involve a recurring expenditure of about rupees 55,00,000 /- per annum.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1956 (ACT NO. 6 OF 1957)

XX XX XX XX XX XX XX

4 A. Pension and other facilities.- (1) With effect form 1st April, 2017 there shall be paid to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly for any period upto five years. Whether continuous or not, a pension of rupees twenty five thousand per mensem and an additional pension of rupees one thousand six hundred per mensem for every year or part thereof, whether continuous or not, beyond the aforesaid period of five years :

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period :

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section :

Provided also that pension payable to a person under this section shall be increased by twenty percent if he has attained the age of Seventy years and shall be increased by thirty percent if he has attained the age of eighty years.

Explanation I.- In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Minister or as an officer as

defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.- If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of 5 years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.- For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as :—

(i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or
(ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or
(iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or
(iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or
(v) the Speaker or Deputy Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State.

Explanation IV.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation V.- In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.

(2) With effect from 1st April, 2010, every person entitled to pension under sub-section (1), subject to rules, if any, made in this behalf by the State Government,-

(a) shall be entitled to reimbursement of any expenditure on account of medical treatment equivalent to that permissible to the retired officers of class I services of the state Government; and

(b) Shall also be entitled to two free non-transferable passes which would entitle him and any other person accompanying him to travel at any time by the Rajasthan State Road Transport Corporation Service on whichever routes it operates, in such class of accommodation and subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where such person is also entitle to any of the aforesaid facilities for the time being as the president, Vice-President, or Governor of any State or the Administrator of any Union territory or as Member of Parliament or of any other State Legislature or the National Capital Territory of Delhi or from the Central Government or any State Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government, or any local authority, under any law or otherwise, he shall not be entitled to that facility to that extent.

(3) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

4-C.- Family pension to the spouse of the Ex-member.- (1) The spouse of a deceased Ex-member shall be entitled with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date of death of such member, whichever is later, to receive per mensem a family pension equal to rupees twelve thousand five hundred or equal to fifty percent of the last drawn pension by such member, whichever is higher :

Provided that—

(i) If the person entitled to a family pension under this section is in receipt of any salary or pension from any other source, then,

(a) where the amount of salary or pension being received from other source is equal to or more than the family

pension receivable under this section, such person shall not be entitled to any pension under this section; and

(b) where the amount of salary or pension being received from other source is less than the amount of family pension receivable under this section, such person shall be entitled to receive family pension under this section in addition to such salary or pension from other source subject, however, that the aggregate of both the family pension under this section and the salary or pension from other source shall not exceed the maximum amount payable under this section as family pension.

(ii) to (iii) xx xx xx xx xx

(2) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

<u>2018 का विधेयक सं.21</u>

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4-क की उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2010" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2018" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "चिकित्सीय उपचार के लिए" से पूर्व, अभिव्यक्ति "स्वयं के और अपने आश्रित बच्चों के" अंत:स्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान परन्तुक (i) को 1 अप्रेल, 2018 से हटाया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

धारा 4-क, अन्य बातों के साथ-साथ, राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के चिकित्सीय उपचार के मद्धे व्यय के पुनर्भरण का उपबंध करती है। इस सुविधा का विस्तार ऐसे सदस्यों के आश्रित बच्चों तक किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 4-ग भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन का उपबंध करती है। इस धारा के अधीन संदेय पेंशन का अवधारण करने में, अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा रहा वेतन या पेंशन हिसाब में ली जाती है और इस धारा के अधीन पेंशन केवल तभी अनुज्ञात की जाती है जब अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा रहा वेतन या पेंशन इस धारा के अधीन संदेय पेंशन की रकम से कम है और इस मामले में भी इस धारा के अधीन पेंशन केवल उस सीमा तक ही अनुज्ञात की जाती है, जिस सीमा तक अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा रहा वेतन और पेंशन इस धारा के अधीन संदेय पेंशन से कम है। इसलिए, अन्य स्रोतों से प्राप्त किये जा रहे वेतन या पेंशन के आरोहक (राइडर) को इस धारा से हटाया जाना ईप्सित है।

उपरोक्त दोनों सुविधाएं 1 अप्रेल, 2018 से दी जानी प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2(26) विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2018 प्रेषक: राजेन्द्र राठौड़ प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4-क(2) और धारा 4-ग(1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है। इन धाराओं में संशोधनों से लगभग 55,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

4-क. पेंशन और अन्य सुविधाएं.- (1) 1 अप्रेल, 2017 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में, निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पच्चीस हजार रुपये की पेंशन और उपर्युक्त पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरंतर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार छह सौ रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के

अधीन उसे संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन में, यदि उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करली हो तो बीस प्रतिशत की वृद्धि, और यदि उसने अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो तीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है:-

(i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या

(ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य; या

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या

(iv) राज्य सभा, या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति; या

(v) लोक सभा, या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।

स्पष्टीकरण IV.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य

नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों, यदि कोई हों, के अध्यधीन 1 अप्रेल, 2010 से,-

(क) चिकित्सीय उपचार के लिए किसी व्यय के पुनर्भरण के लिए उसी के समतुल्य का हकदार होगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग की सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुज्ञेय है; और

(ख) दो नि:शुल्क अनन्तरणीय पासों का भी हकदार होगा जो उसे और उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा द्वारा चाहे जिस किसी भी पथ पर यह संचालित हो, ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जायें, किसी भी समय यात्रा का हकदार बनायेंगे:

परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति तत्समय पूर्वोक्त सुविधाओं में से किसी के लिए भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक होने से या सांसद् या किसी अन्य राज्य विधान-मण्डल या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का सदस्य होने से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार हो तो वह उस सीमा तक उक्त सुविधा का हकदार नहीं होगा।

(3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

4-ग. भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन.- (1) किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पति या पत्नी 1 अप्रेल, 2017 से या ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, बारह हजार पांच सौ रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमास कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु-

(i) यदि इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का हकदार व्यक्ति किसी भी अन्य स्रोत से कोई वेतन या पेंशन प्राप्त करता है, तो,-

(क) जहां अन्य स्रोत से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और

(ख) जहां अन्य स्रोतों से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन की रकम से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति अन्य स्रोत से ऐसे वेतन या पेंशन के अतिरिक्त इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, तथापि, इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन और अन्य स्रोत से वेतन या पेंशन, कुल मिलाकर दोनों इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन के रूप में संदेय अधिकतम रकम से अधिक नहीं होंगी;

(ii) से (iii) XX XX XX XX XX

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

2018 का विधेयक सं. 21

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 21 of 2018

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(**Rajendra Rathore, Minister-Incharge**)